

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5769/2022

सरिता इन्दोरिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, अजमेर।
3. भानु प्रताप सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक, गोविन्दगढ़, पीसांगन, अजमेर।
4. हमीद खान, पार्षद वार्ड नं. 78, अजमेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.11.2022

आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर अजमेर-1A, तहसील अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या-2 के आदेश दिनांक 27.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से गोविन्दगढ़, तहसील पीसांगन, अजमेर प्रत्यर्थी संख्या-3 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या-3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर दुर्भावनापूर्वक समायोजित किया गया। अपीलार्थी के पति राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अभिभाषक है तथा अपीलार्थी के छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है (अनुलग्नक-2 एवं 3)। प्रत्यर्थी संख्या-4 के पत्र दिनांक 15.10.2022 (अनुलग्नक-4) द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के विरुद्ध होने का आरोप लगाकर तहसील अजमेर से अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु राजस्व मंत्री महोदय को लिखा गया। तदनुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक हस्तक्षेप से किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.10.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को भू-अभिलेख

निरीक्षक के पद पर अजमेर-II, तहसील अजमेर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक विद्वेष के आधार पर किया जाना परिलक्षित होता है। हस्तक्षेप से किया गया है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.10.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य